न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—184 / 2018 / 225 (2018 / 000184)

1. चांदखा पुत्र सुलेमान खां, जाति मुसलमान, निवासी सरवाड़, तह0 सरवाड़ जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम अब्दुल कयूम पुत्र चांदमोहम्मद, जाति मुसलमान, नि0 सरवाड़, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. छीतर पुत्र पुत्र सुवा, जाति तेली, नि0 सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदा, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. यासीन खां पुत्र सुलेमान खां,
4. शरीफन पत्नि इसबगनी,
5. बदरूदीन पुत्र इसबगनी,
6. सदीक मोहम्मद पुत्र इसबगनी,
7. प्यार मोहम्मद पुत्र सुलेमान खां,
8. फकीर मोहम्मद पुत्र आलमनूर,
9. मु0 कुबरा बेवा आलममनूर,
10. सुगरा पुत्री आलमनूर,
11. रजिया पुत्री आलमनूर,
12. मदीना पुत्री आलमनूर,

सभी जाति मुसलमान, नि0 सरवाड़, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, दिनांक 27.6.2018 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 152 / 2015.

उपस्थितः—

1. श्री चन्दप्रकाश शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री नौरतमल जैन एवं श्री निर्मल कुमार जैन, रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2.
4. रेस्पो0 संख्या 3 से 12 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—8.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 27.6. 2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा जंगल सरवाड़, तह0 सरवाड़ स्थित आराजी कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 के खाता संख्या 908 / 908 के खसरा संख्या 3206 रकबा 1—16—00 जिसके पुराने खाता संख्या 527 / 444 के खसरा नंबर 3206

रकबा 1–18–00 था उक्त आराजियात कदीम समय से प्रार्थी/अपीलांट के पूर्वज सुलेमान खां पुत्र रहीम खां के कब्जे काश्त आधिपत्य की रही है जो राजस्व अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज रही है जिसका राजस्व जमाबदी संवत् 2023 से 2026 में अंकन है तत्पश्चात् सुलेमान खां के वारिसान को विरासत में खातेदारी हक प्राप्त हुए किन्तु भू–संशोधन के दौरान बिना किसी विधिक अधिकार एवं आधार के तथा बिना किसी हस्तातंरण किये राजस्व अभिलेख जमाबदी में परिशोधन संख्या 697 के खाता संख्या 932 कायम करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 सुआलाल पुत्र कल्याण तेली, निवासी सरवाड़ की खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि विवादित भूमि पर प्रार्थी/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 ही काबिज काश्त चले आ रहे है । अतः वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 27.6.2018 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का मूल खातेदार प्रमाणित चौसाला जमाबंदी से सुलेमान होना बखूबी साबित था इसके बावजूद भू–संशोधन के दौरान बिना किसी विधिक अधिकार एवं आधार के तथा बिना किसी हस्तातंरण किये राजस्व अभिलेख जमाबदी में परिशोधन संख्या 697 के खाता संख्या 932 कायम करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 सुआलाल पुत्र कल्याण तेली, निवासी सरवाड़ की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था । भू–प्रबंध विभाग को पुराने इंद्राज को दौहराना चाहिये था। सुआलाल की मृत्यु के बाद विवादित भूतमि की फौती विरासत अप्रार्थी छीतर के नाम अंकित कर दी गई जबकि अप्रार्थी जवाब में यह बताने में असमर्थ रहा था कि उसके पिता सुवालाल के पास उक्त भूमि किस प्रकार आई । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी/अपीलांट पने बाप–दादाओं के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त है । अधी0न्याया0 ने अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन के निस्तारण के लिये आवश्यक तीन बिन्दुओं पर भी पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही एवं उनकी नोयत को समझे बिना आवेदन को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में साबित नही पाये जाने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है ।अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पो0 संख्या 1 है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है ।

अपीलांट को विवादित आराजी में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निस्तारण बाद साक्ष्य वाद में तय किये जावेगें किन्तु वर्तमान में रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.6.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 8.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर